

राजस्थान

काँमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
(CET)



HANDWRITTEN
NOTES



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

राजस्थान CET

(RSMSSB)

(COMMON ELIGIBILITY TEST)

(12th LEVEL)

[भाग -2] भूगोल + राजव्यवस्था (भारत और राजस्थान)



राजस्थान CET

(12th level)

भाग - 2

भूगोल + राजव्यवस्था
(भारत और राजस्थान)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान CET (Senior Secondary Level) को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान CET (Senior Secondary Level)” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

Whatsapp करें - <https://wa.link/gwli3t>

Online Order करें - <https://bit.ly/rsmssb-cet-notes>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2022)

राजस्थान का भूगोल

1. भूगर्भिक संरचना एवं भू-आकृतिक प्रदेश	1
2. जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश	39
3. प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव - जन्तु एवं अभयारण्य	51
4. मृदाएँ	62
5. नदियाँ, बांध एवं झीलें	68
6. राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन (खनिज सम्पदा)	96
7. पशु सम्पदा	110
8. जनसंख्या-वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, एवं लिंगानुपात	120
9. प्रमुख जनजातियाँ	131
10. राजस्थान में पर्यटन	135

भारत का भूगोल

1. सामान्य परिचय	142
2. भारत की स्थिति व विस्तार	144
3. भारत के भौतिक स्वरूप स्थलाकृतियाँ	153
4. प्रमुख नदियाँ, बाँध, झीलें एवं सागर	181
5. वन एवं वन्य जीव जन्तु, एवं अभयारण्य	199

राजस्थान का राजव्यवस्था

1. राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	210
2. राज्यपाल	211
3. मुख्यमंत्री	220
4. राज्य विधानसभा	230
5. उच्च न्यायालय	240
6. राजस्थान लोक सेवा आयोग	249
7. लोकायुक्त	252
8. राज्य निर्वाचन आयोग	256
9. राज्य सूचना आयोग	258
10. राजस्थान राज्य महिला आयोग	261
11. राज्य मानव अधिकार	263
12. राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव	266
13. जिला प्रशासन	273
14. स्थानीय स्व- शासन एवं पंचायती राज	280

भारत का राजव्यवस्था

1. भारतीय संविधान की प्रकृति	292
2. प्रस्तावना (उद्देशिका)	302
3. मौलिक अधिकार	310

4. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (सिद्धांत)	320
5. मौलिक कर्तव्य	323
6. राष्ट्रपति	330
7. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	351
8. संसद	359

अध्याय - 3

प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव - जन्तु एवं अभयारण्य

राजस्थान में वन संपदा एवं वन्य जीव अभयारण्य

इसके अंतर्गत हम राजस्थान के वन संपदा एवं वन्य जीव अभयारण्य का अध्ययन करेंगे और समझेंगे की वन मानव जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं।

दोस्तों वन संपदा को 'हरा सोना' एवं 'मानव का सुरक्षा 'कवच' कहा जाता है।

वन मानवीय जीवन के लिए प्राचीन काल से आज तक आर्थिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

वन संपदा, जीव-जंतु, मनुष्य आदि को आवास प्रदान करता है। इसी कारण कहा जा सकता है कि भौतिक भूगोल में वन संपदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

वनस्पति:- प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ - पौधे जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं पाया जाता हो प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानी जाती है।

निष्कर्ष :-

- वर्तमान समय में दावानल (जंगलों में लगने वाली आग), जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता हुआ शहरीकरण, नवीनीकरण एवं मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा हमारे ये अमूल्य संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं।
- अतः धारणीय विकास पर्यावरण मित्र, विकास मानव हस्तक्षेप पर नियंत्रण, बढ़ते हुए शहरीकरण पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आदि को अपनाकर प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है।

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल - 3,42,239 वर्ग किमी.

प्रदेश का कुल वन क्षेत्र - 32845.30 वर्ग किमी.

कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र - 9.597 %

प्रदेश का कुल वनावरण	-	16630 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	-	8112 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	-	24742 वर्ग किमी.
राज्य पशु	-	चिंकारा एवं ऊँट
राज्य पक्षी	-	गोडावण
राज्य वृक्ष	-	खेजड़ी
राज्य पुष्प	-	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	-	3
वन्यजीव अभयारण	-	27
बाघ परियोजनाएँ	-	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स)
रामसर स्थल	-	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	-	15
कुल प्रादेशिक मंडल	-	38
वन्यजीव मंडल	-	16

भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 को लागू की गई एवं स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 को लागू की गई।

1952 की वन नीति में संशोधन करके 1988 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। जिसके अनुसार **33.33% भू-भाग पर वन होना अनिवार्य है।**

1910 में जोधपुर रियासत के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कानून एवं 1953 में राजस्थान सरकार के द्वारा वन अधिनियम को लागू किया गया। 1953 में जब वन अधिनियम को लागू किया गया उस समय राज्य के कुल 13% भाग पर वन थे।

राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति 2010 को लागू की गई।

वर्तमान में राजस्थान में कुल वनावरण 16654.96 वर्ग किमी. (16655 वर्ग किमी.) है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.87 प्रतिशत है।

राजस्थान, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है, राजस्थान में सबसे अधिक वन उदयपुर (क्षेत्रफल के हिसाब से) जिनमें से सबसे कम चूरु जिले में

पाए जाते हैं जबकि भारत में सबसे अधिक वन मध्यप्रदेश में एवं सबसे कम पंजाब में पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 हैं।

राजस्थान में वनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है

1. प्रशासनिक आधार पर

2. जलवायु के आधार पर

1. प्रशासनिक आधार पर :- वन विभाग के द्वारा प्रशासनिक आधार पर वनों के तीन प्रकार हैं।

a. आरक्षित वन / संरक्षित वन :-

- इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते हैं।
- राजस्थान में आरक्षित वन के रूप में 12,176.24 वर्ग किलोमीटर या 37.05 प्रतिशत वन हैं।

यह वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। अतः इन वनों में लकड़ी काटना एवं पशुचारण पूरी तरह से वर्जित है।

b. रक्षित या सुरक्षित वन :-

- इन वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है, इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों में छूट प्रदान करती है।
- राज्य के कुल वन का 56.43 प्रतिशत है भू - भाग पर स्थित है जो कि सर्वाधिक बारां जिले में पाए जाते हैं। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में यह वन अति महत्वपूर्ण है।

c. अवर्गीकृत वन :- ये वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 6.52% भू-भाग पर स्थित हैं।

यह वन सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं।

- अवर्गीकृत वन में पेड़ों के काटने और मवेशियों के चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इ
- न वनों में सरकार द्वारा निर्धारित चार्ज जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है।

2. जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण:- जलवायु के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है।

- i. शुष्क सागवान वन
- ii. उष्ण - कटिबंधीय शुष्क एवं धोक वन
- iii. शुष्क कांटेदार वन
- iv. उष्ण - कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन
- v. उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन

ii. **उष्ण - कटिबंधीय शुष्क एवं धोक वन :-** यह मुख्य रूप से अर्द्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

यह राज्य के कुल क्षेत्र का 58.11 % है। इस वन का मुख्य वृक्ष धौंकड़ा है। इन वनों में मुख्य रूप से कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी, केर, बेर, रोहिड़ा, आदि पाए जाते हैं।

इन वनों में वर्षा 25-50 सेंटीमीटर तक होती है।

iii. **शुष्क कांटेदार वन:-** यह मुख्य रूप से शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं यह कुल क्षेत्र का 6.23% है। इन वनों में मुख्य रूप से मरुद्धिद वनस्पति पाई जाती है।

इस क्षेत्र में वर्षा 0 - 20 / 25 सेमी. तक होती है।

iv. **उष्ण - कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन:-** यह वन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में अत्यधिक पाए जाते हैं, जो कि राज्य के कुल क्षेत्र के 28.42% हैं।

इन वनों में मुख्य रूप से शीशम, साल, सागवान, नीम, पीपल, शहतूत, खेजड़ी आदि पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा 80-110 सेमी. के मध्य होती है।

v. **उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन :-** यह वन राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 125-150 सेमी. या इससे अधिक होती है। यह वन राज्य के कुल क्षेत्र का 0.39% है। यह वन सदा हरे - भरे रहते हैं। इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से आम, जामुन, बरगद के वृक्ष पाए जाते हैं।

प्रश्न - 2 निम्न में से किस जिले में, उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं ? (RAS - 2021)

- | | |
|--------------|-------------|
| A. सिरोही | B. उदयपुर |
| C. बाँसवाड़ा | D. झालावाड़ |

उत्तर - A

3- राष्ट्रीय उद्यान

i. **रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान:-** सवाई माधोपुर - 392 वर्ग किलोमीटर

- राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
- विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा चलाए गए टाइगर प्रोजेक्ट (1973) में 1973 - 1974 में शामिल किया गया, जो कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना मानी जाती है।
- यह देश की सबसे छोटी 'बाघ परियोजना' है जिसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल एवं न्याय की छतरी (32 खंभों की छतरी) स्थित है।
- इसमें मुख्य रूप से बाघ, शेर, बघेरा, लकड़बग्घा, हिरण, नीलगाय आदि वन्य जीव पाए जाते हैं।

ii. **केवलादेव घना पक्षी विहार :-** भरतपुर, एनएच - 21, 29 वर्ग किलोमीटर

(स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ दिल्ली - आगरा - जयपुर)

इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में एवं राष्ट्रीय उद्यान 26 अगस्त 1981 को घोषित किया गया, जो कि राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। UNESCO के द्वारा 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।

Note:- विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल स्थान

- I. मानस (Assam)
- II. काजीरंगा (Assam)
- III. सुंदरवन (W.B)
- IV. नंदा देवी (Uttarakhand)
- V. केवलादेव (Raj-Bharatpur)
- VI. भीत्तरकनिका (Orissa)

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग एवं एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है।

यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र साइबेरियन सारस एवं पाइथन पॉइंट में मिलने वाला अजगर है।

- यह राष्ट्रीय उद्यान डॉ. सलीम अली की कार्यस्थली रहा है।

- इसमें राजस्थान की प्रथम प्रयोगशाला एवं दूसरा सर्प उद्यान विकसित किया जा रहा है।

प्रथम सर्प उद्यान - कोटा

मुकुंदरा हिल्स या दरा अभ्यारण्य :- कोटा - झालावाड़ मार्ग पर (कोटा) 274 वर्ग किलोमीटर

इस अभ्यारण्य में कोटा के महाराव मुकुंद सिंह के द्वारा अबली मीणी महलों का निर्माण करवाया गया है, जिन्हें राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं।

- गागरोनी तोता मुकुंदरा हिल्स में पाया जाने वाला विशेष प्रजाति का तोता है।
- जो इंसान की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है।
इसकी कंठी लाल रंग की व पंख पर लाल रंग का धब्बा होता है।
- इसे हीरामन तोता तथा हिंदुओं का आकाश लोचन (मनुष्य की आवाज में बोलने वाला) भी कहा जाता है।
- इसके अलावा इस अभ्यारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, हिरण, जंगली सूअर, लोमड़ी, खरगोश आदि जानवर इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं।
- यह अभ्यारण्य धौंकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है।
- इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को एवं तीसरी बाघ परियोजना 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया।

इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक देवबंद पाए जाते हैं।

वन्य जीव अभ्यारण्य

सरिस्का अभ्यारण्य :- अलवर, 492 वर्ग किलोमीटर

- इसे 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा एवं 1978 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया।
- यह राजस्थान की सबसे बड़ी एवं दूसरी बाघ परियोजना है।
- इस अभ्यारण्य में Hotel tiger den का संचालन RTDC (राजस्थान पर्यटन विकास नियम) के द्वारा किया जाता है।

इस अभ्यारण्य में चार धार्मिक स्थल हैं

ताल वृक्ष - मांडव्य ऋषि की तपोस्थली

भर्तृहरि का मंदिर - कनफटे नाथों की शरण स्थली

पांडुपोल - सोते हुए / शयन मुद्रा में हनुमान जी

नीलकंठ महादेव मंदिर / - एकमात्र नृत्यरत गणेश की प्रतिमा

- राजस्थान में सबसे अधिक हरे कबूतर सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक मोर भी पाए जाते हैं।

- राष्ट्रीय पक्षी - मोर - 1963 A. D. में घोषित
- 2. राष्ट्रीय मरु उद्यान :-** जैसलमेर - बाड़मेर

$$1900\text{Km}^2 + 1262\text{Km}^2 = 3162\text{Km}^2$$

- यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य में है, जिसे 8 मई 1981 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया।

इस अभ्यारण्य में मुख्य आकर्षण का केंद्र पीवणा सर्प एवं गोडावणा पक्षी है।

इस अभ्यारण्य में ऑकल बुड फॉसिल पार्क एवं लाठी सीरीज स्थित है।

- 3. सीतामाता अभ्यारण्य:-** प्रतापगढ़, 423 वर्ग किलोमीटर

चीतल की मातृभूमि

सर्वाधिक सागवान के वृक्ष

यहाँ एंटीलोप प्रजाति का चाँसिंगा पाया जाता है।

राजस्थान में सबसे अधिक औषधि वृक्ष पाए जाते हैं।

विश्व प्रसिद्ध उड़न गिलहरीया, जिन्हें स्थानीय भाषा में मशोवा कहा जाता है।


कर्म मोचिनी (कारमोई) नदी का उद्गम स्थल

ठंडे व गर्म जल के दो स्रोत - लव - कुश

इस अभ्यारण्य में जाखम नदी गुजरती है।

- 4. कुंभलगढ़ अभ्यारण्य :-** उदयपुर - राजसमंद - पाली

राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य



राजस्थान के प्रमुख मृग वन :- इनकी संख्या 7 हैं

1. दुर्ग मृग वन - 1969 A.D. चित्तौड़गढ़
2. सव्जनगढ़ मृग वन - 1984 A.D. उदयपुर
3. पुष्कर मृगवन - 1985 A.D. अजमेर
4. माचिया सफारी पार्क मृग वन - 1985 A.D. जोधपुर
5. अशोक विहार मृग वन - 1986 A.D. जयपुर
6. संजय उद्यान मृग वन - 1986 A.D. जयपुर
7. अमृता देवी मृग वन - 1994 A.D. जोधपुर

राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय -

1. जयपुर जंतुआलय :- यह राजस्थान का सबसे बड़ा एवं प्रथम जंतुआलय है, जिसकी स्थापना 1876 में जयपुर के महाराजा रामसिंह द्वितीय के द्वारा रामनिवास बाग में की गई है। यह जंतुआलय मगरमच्छों के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है।
2. उदयपुर जंतुआलय:- इसकी स्थापना मेवाड़ के महाराजा स्वर्ण सिंह के द्वारा 1878 में उदयपुर के गुलाब बाग में की गई।
3. बीकानेर जंतुआलय :- 1922
4. जोधपुर जंतुआलय :- 1934
5. जोधपुर जंतुआलय :- यह गोंडावण पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है।
6. कोटा जंतुआलय :- 1954

(33) राजस्थान के प्रमुख शिकार निषिद्ध क्षेत्र / आखेट निषिद्ध क्षेत्र

1. राजस्थान का सबसे बड़ा शिकार निषिद्ध क्षेत्र - संवत्सर कोटसर - चूरु

2. सबसे छोटा - संधाल सागर - जयपुर

Note:- राजस्थान में सबसे अधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र बीकानेर में है (7)

जोधपुर में (5)

अजमेर में (3)

राजस्थान के वन मंडल 13

1. जोधपुर (9 जिले)

2. जयपुर वन मंडल - जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं

3. भरतपुर वन मंडल - अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली

4. अजमेर वन मंडल

5. टोंक वन मंडल - भीलवाड़ा - टोंक

6. कोटा वन मंडल

7. बूंदी वन मंडल

8. बारां वन मंडल

9. झालावाड़ वन मंडल

10. चित्तौड़गढ़ मंडल वन मंडल

11. बाँसवाड़ा वन मंडल

12. उदयपुर वन मंडल - उदयपुर, राजसमंद

13. सिरोही वन मंडल - सिरोही

राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियों के प्रकार

1. खेजड़ी:- इसे राजस्थानी भाषा में सीमलो तथा इसे धार्मिक ग्रंथों में शमी राजस्थान का कल्पवृक्ष, मरुस्थल का सागवान, सफेद कीकर, राजस्थान का राज्य वृक्ष (31 अक्टूबर, 1983) आदि उपनाम से जाना जाता है।

Scientific Name - Prosopis Sinereria

सिंधी भाषा में इसे छोकड़ो कहते हैं।

राजस्थान में जन्माष्टमी व दशहरे के पर्व पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है।

इस वृक्ष से संबंधित 'रुंख भायला एवं खेजड़ा ऑपरेशन (1991) संबंधित है।

2. पलाश :- इसे स्थानीय भाषा में खाखरा कहा जाता है।

इस वृक्ष पर फाल्गुन के माह में लाल व पीले रंग के फूल खिलते हैं, इसी कारण इसे जंगल की आग या flame of the forest कहा जाता है।

इस वृक्ष की लकड़ी अधिक मजबूत होती है जिससे फर्नीचर, कृषि के औजार एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है।

यह वृक्ष मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, बारां झालावाड़, कोटा आदि स्थानों पर पाया जाता है।

3. सागवान:- सागवान का वृक्ष राजस्थान में बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ आदि स्थानों पर पाया जाता है। जो कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का 7% है।

इस वृक्ष की लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है जिससे अनेक उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं।

वन नीति - 2010 :- राजस्थान में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 17 फरवरी 2010 को राजस्थान के प्रथम वन नीति को लागू किया गया।

बाँस :-

- आदिवासियों के 'हरा सोना' के नाम से प्रसिद्ध यह वृक्ष राजस्थान में बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है।
- इसका उपयोग मुख्यतः चारपाई बनाने, झोपड़ी बनाने, आदि के रूप में किया जाता है।

महुआ:-

- यह आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है।
- इसका फल खाने एवं तेल बनाने के काम आता है।
- आदिवासियों के द्वारा इससे मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है।
- यह वृक्ष मुख्यतः बाँसवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, बारां आदि जिलों में पाया जाता है।

- ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था इसलिए इस झील का नाम "पुष्कर झील" पड़ा, लेकिन भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है।
 - यह राजस्थान की प्राचीन, प्राकृतिक एवं सबसे पवित्र झील है।
 - इस झील के किनारे प्रसिद्ध ब्रह्माजी का मंदिर स्थित है ऐसा माना जाता है कि ब्रह्माजी मंदिर में मूर्ति आद्यगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इस मंदिर का निर्माण दसवीं सदी में पंडित गोकुल चंद्र पारीक ने करवाया था। (नोट :- राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसोतरा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्माजी का मंदिर है।)
 - इस झील को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे - कोकण तीर्थ, तीर्थ स्थलों का मामा 52 घाट मंदिरों की नगरी, प्रयागराज का गुरु, हिन्दुओं का पांचवा तीर्थ स्थल इत्यादि।
 - इस झील के किनारे कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। यह मेला राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है जो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले के रूप में आयोजित किया जाता है। यह मेला राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है।
 - महाभारत के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया था तथा कौरव व पांडवों का मिलन भी इसी झील के तट पर हुआ था।
 - प्राचीन काल में विश्वामित्र ने इसी झील के किनारे तपस्या की थी।
 - वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना एवं वेदों का संहिताकरण इसी झील के किनारे किया था।
 - भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील में किया था।
 - पुष्कर झील में कुल 52 घाट हैं इसलिए इसे बावन घाटा के नाम से भी जाना जाता है इसमें एक महिला घाट भी है जो महिलाओं के स्नान के लिए बनवाया गया था जिसका निर्माण मैडम मैरी के द्वारा करवाया गया था।
 - इस झील के तट पर प्रसिद्ध वराह मंदिर है जिसका निर्माण आनाजी (अर्जोराज) के द्वारा करवाया गया था।
 - इसी झील के तट पर द्रविड़ शैली में निर्मित रंगाजी रंगनाथ जी बैकुंठ मंदिर है।
 - इसी झील के समीप रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री मंदिर भी स्थित है।
 - कालिदास ने अपने ग्रंथ "अभिज्ञान शाकुंतलम्" की रचना इसी झील के तट पर की थी।
 - महात्मा गांधी की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित की गई थी इसीलिए इस झील को "गांधी घाट" के नाम से भी जाना जाता है।
 - इसी झील के समीप आमेर के मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित मान पैलेस है वर्तमान में यहाँ मान पैलेस होटल का संचालन किया जा रहा है।
 - इस झील के आस-पास छोटे-बड़े लगभग 400 मंदिर स्थित हैं इस कारण पुष्कर झील को मंदिरों की नगरी" भी कहा जाता है।
 - इस झील को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था।
 - सन् 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह इस झील के किनारे गुरु गोविंद साहब का पाठ किया था तथा सन् 1809 में इस झील का पुर्नद्वार मराठों के द्वारा करवाया गया था।
 - पुष्कर के पंचकुण्ड को "मृगवन" घोषित किया गया है।
- ## 2. जयसमंद झील -
- राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है।
 - इस झील का निर्माण गौतमी नदी, झामरी नदी तथा बगार नदी का पानी रोक कर मेवाड़ के राजा जयसिंह के द्वारा 1685 - 91 में करवाया गया था।
 - यह झील एशिया की दूसरी तथा राजस्थान की प्रथम मीठे पानी की सबसे बड़ी, कृत्रिम झील है।

- इस झील पर छोटे-बड़े कुल 7 टापू स्थित हैं जिन पर भील तथा मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं इनमें से सबसे बड़ा टापू "बाबा का भांगड़ा" है जबकि सबसे छोटा टापू "प्यारी" है।
 - इस झील के एक टापू का नाम "बाबा का मगरा" भी है, जिस पर वर्तमान में एक होटल संचालित किया जा रहा है इस होटल का नाम आइसलैंड रिसोर्ट है।
 - इस झील से सिंचाई के लिए दो नहरे निकलती हैं - इनमें से एक का नाम श्यामपुरा और दूसरी भाट है इन दोनों नहरों की कुल लंबाई 324 किलो मीटर है।
 - इस झील की लंबाई 15 किलो मीटर तथा चौड़ाई अधिकतम 8 किलोमीटर है।
 - इस झील में 6 कलात्मक छतरियां एवं प्रसाद बने हुए हैं।
 - जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है
 - इस झील के तट पर नर्मदश्वर शिवालय, चित्रित हवा महल तथा रूठी रानी क महल स्थित है।
- 3. राजसमंद झील -**
- इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा राजसिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोक कर सन् 1662 से 1680 के बीच में करवाया गया था। इस झील की कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर है।
 - यह राज्य में एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण किसी जिले के नाम पर हुआ है।
 - राजसमंद झील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है।
 - राजसमंद झील के तट पर एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति "राज प्रशस्ति" 25 बड़े शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति की रचना राजा "राजसिंह" के दरबारी कवि रणछोड़भट्ट तैलंग के द्वारा की गई थी। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस प्रशस्ति पर 1917 श्लोक उत्कीर्ण है।
 - राजसमंद झील के तट पर प्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर है यहीं पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ भी स्थित

है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है जिसको "अन्नकूट महोत्सव" के नाम से जानते हैं।

- राजसमंद झील के तट पर "बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मंदिर" स्थित है।
 - इस झील को एक अन्य नाम "राजसमुद्र" के नाम से भी जानते हैं।
 - इस झील को राज्य सरकार ने धार्मिक दृष्टि से पुष्कर की तरह पवित्र घोषित किया है अर्थात् राज्य सरकार ने इस झील को सबसे पवित्र झील घोषित किया है।
- 4. पिछोला झील -**
- राज्य के उदयपुर जिले में स्थित पिछोला झील का निर्माण सन् 1387 में राणा लाख के काल में एक पिच्छू / छिन्न नामक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बँल की स्मृति (याद) में करवाया था। यह झील उदयपुर की सबसे प्राचीन तथा सबसे सुंदर झील है
 - सन् 1525 ईस्वी में राणा सांगा ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया था इस झील को पक्का कराने का श्रेय राजा उदयसिंह को जाता है।
 - पिछोला झील के तट पर एक जग मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1551 में महाराणा अमर सिंह ने शुरू करवाया था तथा महाराणा करण सिंह (1620-1628) तक ने इसका कार्य जारी रखा, और इसका पूर्ण कार्य महाराणा जगतसिंह ने (1628-1652) में करवाया था।
 - 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इसी झील के किनारे शरण ली थी तथा खुर्रम शाहजहाँ ने भी अपने विद्रोही दिनों में यहाँ पर शरण ली थी।
 - इस झील के तट पर जगनिवास स्थित है जिसका निर्माण 1746 में मेवाड़ के तत्कालीन शासक जगतसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसी जगनिवास महल को देखकर ही शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी।
 - यहाँ पर एक बीजारी नामक स्थान पर गलनी / नटनी नामक चबूतरा स्थित है पिछोला झील के तट पर अमरचंद बंडवा द्वारा निर्मित बागोर की हवेली स्थित है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है।

नहरें हैं। जिनमें से दो नहरें कोटा व छः नहरें बारा में हैं।

- **जवाहर सागर बाँध**-यह बाँध बोरावास (कोटा) में स्थित है। यह एक पिकअप बाँध है।
- **राणा प्रताप सागर बाँध**-यह बाँध रावत भाटा के चूलिया जल प्रपात के पास स्थित है। इसके ऊपर कनाड़ा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह (प्रथम तारापुर-महाराष्ट्र में) बनाया गया है। इस बाँध की भरा व क्षमता सर्वाधिक है। जिसे 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।
- **गाँधी सागर बाँध** - इसका निर्माण प्रथम चरण 1959 में हुआ। यह बाँध मध्य प्रदेश की मन्दासोर जिले के मानपुरा भानपुरा पठारों के मध्य बनाया गया। इस पर कुल 115 मेगा वाट विद्युत उत्पन्न होती है। (यह बाँध राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित नहीं है।)
- **चम्बल नदी घाटी परियोजना** - यह परियोजना मध्यप्रदेश व राजस्थान की आधी - आधी (50:50) के आधार पर 1953-1954 में शुरू की गई। इसका निर्माण तीन चरणों में पूरा हुआ। इसमें कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगा वाट होता है। जिसमें से 193 मेगा वाट मध्य प्रदेश को व 193 मेगा वाट राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना में ड्रेनेज (मिट्टी अपरदन को रोकने के कार्य को) 'रजा दकार्य' कहा जाता है।

शोर्ट ट्रिक

व्यास परियोजना मुख्यतः जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है उन राज्यों के नाम:-

“व्यास काकी का हरि राज हिम पर”

सूत्र	राज्य
हरि	- हरियाणा
राज	- राजस्थान
हिम	- हिमाचल प्रदेश
पर	- पंजाब

नर्मदा परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है उन राज्यों के नाम:-

“राज उत्तर म मत दे”

सूत्र	राज्य
राज	- राजस्थान
उत्तर	- उत्तर प्रदेश
मत	- मध्य प्रदेश

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. कौन सा सुमेलित नहीं है-
 (a) बेड़च गोगुन्दा की पहाड़ियाँ
 (b) गम्भीरी नदी- जावड़ पहाड़ियाँ
 (c) बाणगंगा नदी - बैराठ पहाड़ियाँ
 (d) माही नदी - खमनौर की पहाड़ियाँ
 उत्तर - D
2. राजस्थान की वर्ष पर्यन्त प्रवाहित नदी है ?
 (a) बनास (b) चंबल
 (c) लूनी (d) साबरमती
 उत्तर - (b)
3. किस नदी पर ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के अधीन "हैगिंग ब्रिज" बनाया जाना प्रस्तावित है -
 (a) कालीसिन्ध (b) बनास
 (c) लूनी (d) चंबल
 उत्तर - (d)
4. निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
 मुख्य नदी सहायक नदी
 (a) पश्चिमी बनास कुकड़ी
 (b) माही चाप
 (c) बनास सीपू / सुकली
 (d) लूनी सागी
 उत्तर - (c)
5. अन्तः प्रवाहित नदी नहीं है?
 (A) साबी (b) काकनी
 (c) खारी (d) काँतली
 उत्तर-(c)
6. राजस्थान राज्य में भू-क्षेत्र की लम्बाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है-
 (a) काँतली - चंबल - लूनी - बनास

- (b) चंबल - लूनी - बनास - काँतली
 (c) लूनी - बनास - काँतली - चंबल
 (d) बनास - काँतली- चंबल- लूनी
 उत्तर - (a)

7. टॉड रॉक किस झील से संबंधित है-
 (a) नक्की झील (b) पुष्कर झील
 (c) पंचपदरा झील (d) सिलीसेढ़ झील
 उत्तर (a)

8. निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है-
 (a) मेंढा (b) काँतली
 (c) बांडी (d) मानसी
 उत्तर - (a)

9. आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया -
 (a) पृथ्वीराज (b) राजसिंह
 (c) अर्णोराज (d) जयसिंह
 उत्तर - (c)

10. सुमेलित कीजिए -
- | | |
|-----------------------|------------|
| सूची-1 | सूची - II |
| (a) जलमहल झील | 1) अलवर |
| (b) पांडुपोल जलप्रपात | 2) उदयपुर |
| (c) लूणकरणसर झील | 3) जयपुर |
| (d) फतेह सागर झील | 4) बीकानेर |

कूट :

- | | a | b | c | d |
|-------|---|---|---|---|
| (i) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (ii) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| (iii) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (iv) | 3 | 4 | 1 | 2 |

उत्तर - (i)

11. राजस्थान के किस जिले में प्लायो झील है-
 (a) कोटा (b) उदयपुर
 (c) जैसलमेर (d) भरतपुर
 उत्तर - (c)

12. बाई तालाब झील कहाँ स्थित है ?
 (a) इंगरपुर (b) झालावाड़
 (c) बांसवाड़ा (d) प्रतापगढ़
 उत्तर - (c)

13. वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं?
 (a) जयसंमंद (b) राजसंमंद
 (c) फतेहसागर (d) पिछोला
 उत्तर-(b)

अध्याय - 4

प्रमुख नदियाँ, बाँध, झीलें एवं सागर

भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव की जीविकोपार्जन का साधन रही हैं।

- भारत में 4000 से भी अधिक छोटी व बड़ी नदियाँ हैं, जिन्हें 23 वृहत् तथा 200 लघु नदी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
- किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल (Drainage Network) कहते हैं।

अपवाह व अपवाह तंत्र (Drainage and Drainage System)

निश्चित वाहिकाओं (Channels) के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह (Drainage) तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र (Drainage System) कहा जाता है।

जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area)-



एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं।

अपवाह द्रोणी -

एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं।



- कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77 प्रतिशत भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं



- । बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं,
- जबकि 23% भाग जिसमें सिन्धु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियाँ शामिल हैं। अपना जल अरब सागर में गिराती हैं।
- नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मान एवं जल का वेग।

जल संभर क्षेत्र / Watershad area

जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह श्रेणियों को तीन भागों में बाँटा गया है

1. प्रमुख नदी श्रेणी: जिनका अपवाह क्षेत्र 20000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदियाँ श्रेणियाँ शामिल हैं। जैसे - गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि।
2. मध्यम नदी श्रेणी: जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है। इसमें 44 नदी श्रेणिया हैं, जैसे - कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि।
3. लघु नदी श्रेणी: जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं।

अपवाह प्रवृत्ति

1. पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अपवाह -


- वे नदियाँ, जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थी तथा हिमालय के निर्माण के पश्चात् महाखण्ड बनाकर अपने पूर्व मार्ग से प्रवाहित होती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिन्धु

2. अनुवर्ती नदियाँ -

- वे नदियाँ, जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं।


3. परवर्ती नदियाँ -

- चम्बल, सिंध, बेतवा, सोन आदि नदियाँ गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। गंगा अपवाह तंत्र के परवर्ती अपवाह का उदाहरण है।



4. दुमाकृतिक अपवाह -

- वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो उसे दुमाकृतिक अपवाह कहते हैं।




5. जालीनुमा अपवाह -

- यह एक आयताकार प्रतिरूप है। जहाँ मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समान्तर बहती हैं और सहायक नदियाँ समकोण पर पायी जाती हैं।


6. कंटकीय प्रतिरूप -

- जब नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएँ मिलती हैं, जिनकी प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो ऐसे प्रतिरूप कंटकीय प्रतिरूप (Thorny Pattern) कहलाता है। उदाहरण - सिन्धु एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने ऊपरी भाग में इसका निर्माण करती हैं।



7. आयताकार अपवाह -

- वह अपवाह प्रतिरूप, जिसकी विशेषता सहायक नदियों एवं मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव एवं समकोणीय सम्मिलन है।



8. अरीय प्रतिरूप -

- इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केन्द्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है, इस प्रतिरूप में शीर्ष भाग से नदियाँ निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। उदाहरण - पारसनाथ की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी



9. वलयाकार प्रतिरूप -

- इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में, पर्वती नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम है।

हिमालयी अपवाह तंत्र

- हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों (हिमानी या हिमनद) के पिघलने से बनी हैं अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरन्तर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों-हजारों वर्ग किमी. में फैले हैं। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी-तंत्रों में विभाजित किया गया है।
- उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अधिक महत्त्व है।
- ये नदियाँ तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं।
- उत्तरी भारत की नदियाँ अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती हैं। इन्हीं नदियों द्वारा लायी गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
- इस क्षेत्र की नदियाँ बारहमासी (Perennial) हैं क्योंकि ये वर्षण एवं बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ गहरे महाखण्डों से गुजरती हैं। जो हिमालय के उत्थान के साथ-साथ होने वाली अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं।


इंडो ब्रह्म नदी:- भू-वैज्ञानिक मानते हैं, कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाखों वर्ष पहले एक विशाल नदी थी। जिसे शिवालिक या इंडो - ब्रह्म नदी कहा गया है।

इंडो ब्रह्म नदी के तीन मुख्य अपवाह तंत्र -

1. पश्चिम में सिन्धु और इसकी पाँच सहायक नदियाँ
2. मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ

3. पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ

सिन्धु नदी तंत्र



- यह विश्व की सबसे बड़ी नदी श्रेणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11 लाख, 65 हजार वर्ग km है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किमी है।
- सिन्धु नदी की कुल लंबाई 2,880 किमी. है। परंतु भारत में इसकी लम्बाई केवल 1,114 km है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है।
- सिन्धु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी (मानसरोवर झील) में बोखर-चू के निकट एक ग्लेशियर (हिमनद) से होता है। तिब्बत में इसे शेर मुख अथवा सिंगी खंबान कहते हैं।
- सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिन्धु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
- अन्य सहायक नदियाँ - जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगिट, श्योक, हुंजा, कुर्म, नुबरा, गास्टिंग व दास, गोमल।
- अंततः यह नदी अटक (पंजाब प्रांत, पाकिस्तान) के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। जहाँ दाहिने तट पर काबुल, तोची, गोमल, विबोआ और संगर नदियाँ इसमें मिलती हैं।

- यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की पाँच मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया है।

सिन्धु की प्रमुख सहायक नदियाँ :-

1. सतलुज नदी
2. व्यास नदी
3. रावी नदी
4. चिनाब नदी
5. झेलम नदी

सिन्धु नदी तंत्र

सिन्धु जल संधि (1960)

तीन पूर्वी नदियों - व्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत तथा 3 पश्चिमी नदियों सिन्धु, झेलम, चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया -


1. व्यास, रावी, सतलुज 80% पानी भारत

20% पानी पाकिस्तान

2. सिन्धु, झेलम, चिनाब 80% पानी पाकिस्तान

20% पानी भारत

सतलज नदी -



- यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में लगभग 4,555 मीटर की ऊँचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है। जहाँ इसे लॉगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है।
- यह उत्तर - पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो - तिब्बत सीमा के समीप शिपकी ला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 km तक सिन्धु नदी के समान्तर बहते हुए अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है।
- प्रवाह क्षेत्र- हिमाचल प्रदेश, पंजाब
- सतलुज, सिन्धु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
- इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी परियोजना तथा भाखड़ा बाँध व इसके पीछे गोविन्द

सागर जलाशय तथा पंजाब के रोपड़ में नांगल बाँध बना हुआ है।

व्यास नदी (विपाशा नदी)

- यह सिन्धु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है।
- प्रवाह क्षेत्र- हिमाचल प्रदेश, पंजाब
- यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। तथा धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखण्ड का निर्माण करती है।
- यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके बैराज के पास सतलुज नदी में जा मिलती है।

रावी नदी (परुष्णी नदी)

क्र. सं.	बांध परियोजना	नदी का नाम	राज्य का नाम
4.	फरक्का बांध परियोजना	हुगली नदी	पश्चिम बंगाल
5.	उरी बांध	झेलम नदी	जम्मू कश्मीर
6.	दुलहस्ते बांध	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
7.	सलाल बांध परियोजना	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
8.	बगलिहार बांध	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
9.	रणजीत सागर बांध (थीन बांध)	रावी नदी	जम्मू-कश्मीर और पंजाब
10.	भाखड़ा नांगल बांध	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
11.	पोंग बांध	व्यास नदी	हिमाचल प्रदेश
12.	नाथपा झाकड़ी बांध	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश
13.	धौलीगंगा बांध	धौली गंगा नदी	उत्तराखंड
14.	रिहंद बांध	रिहंद नदी	उत्तर प्रदेश
15.	रानी लक्ष्मीबाई (राजघाट बांध)	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश
16.	माताटीला बांध	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश
17.	मैंथन बांध	बराकर नदी	झारखंड
18.	तिलैया बांध	बराकर नदी	झारखंड
19.	पंचेत बांध	दामोदर नदी	झारखंड
20.	मयूराक्षी बांध परियोजना	मयूराक्षी नदी	पश्चिम बंगाल
21.	बीसलपुर बांध	बनास नदी	राजस्थान
22.	माही बजाज सागर	माही नदी	राजस्थान
23.	राणा प्रताप सागर बांध	चंबल नदी	राजस्थान
24.	जवाहर सागर बांध	चंबल नदी	राजस्थान
25.	गांधी सागर बांध	चंबल नदी	मध्य प्रदेश
26.	इंदिरा सागर बांध	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश
27.	ओंकारेश्वर बांध परियोजना	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश
28.	उकाई बांध	तापी नदी	गुजरात

क्र. सं.	बांध परियोजना	नदी का नाम	राज्य का नाम
29.	काकरापार बांध	तापी नदी	गुजरात
30.	कोयना बांध	कोएना नदी	महाराष्ट्र
31.	उजनी बांध	भीमा नदी	महाराष्ट्र
32.	जायकवाडी बांध	गोदावरी नदी	महाराष्ट्र
33.	कृष्णा राजा सागर बांध	कावेरी नदी	कर्नाटक
34.	शिवसमुद्रम बांध परियोजना	कावेरी नदी	कर्नाटक
35.	अलमाटी बांध	कृष्णा नदी	कर्नाटक
36.	तुंगभद्रा बांध	तुंगभद्रा नदी	कर्नाटक
37.	नागार्जुन सागर बांध	कृष्णा नदी	तेलंगाना
38.	पोचमपाद बांध (श्रीराम सागर प्रोजेक्ट)	गोदावरी नदी	तेलंगाना
39.	श्रीशैलम बांध	कृष्णा नदी	आंध्र प्रदेश
40.	सोमासिला बांध	पेन्नार नदी	आंध्र प्रदेश
41.	इडुक्की बांध	पेरियार नदी	केरल
42.	मुल्लापेरियार बांध	पेरियार नदी	केरल
43.	बनसुरा सागर बांध	काबिनी नदी	केरल
44.	मेट्टूर बांध	कावेरी नदी	तमिल नाडु
45.	कल्लनाई बांध	कावेरी नदी	तमिल नाडु

अभ्यास प्रश्न

Q.1. निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम - स्थल भारत में नहीं है ?

- (A) झेलम
 (B) व्यास
 (C) रावी
 (D) सतलुज

उत्तर (D)

Q.2. हिमालयी नदियों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. हिमालय की अधिकतर नदियाँ पूर्ववती नदियाँ हैं।

2. उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर-पार काट कर अपना मार्ग बनाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से इंगित करता है/करते हैं

(A) केवल 2

(B) केवल 1

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (C)

Q.3. भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन-सा है ?

- (A) श्योक-जास्कर- स्पीति -सतलुज
 (B) श्योक - स्पीति - जास्कर - सतलुज
 (C) जास्कर - श्योक - सतलुज - स्पीति
 (D) जास्कर - सतलुज -श्योक - स्पीति
- उत्तर (A)**

Q.4. निम्नलिखित में से कौन-सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है/नदियाँ हैं ?

1. दिबांग

2. कामेंग

3. लोहित

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -

- (A) केवल 2 और 3
 (B) केवल 1
 (C) केवल 1 और 3
 (D) 1, 2 और 3

उत्तर (D)

Q.5. निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है ?

- (A) सिन्धु
 (B) चिनाब
 (C) झेलम
 (D) सतलुज

उत्तर (A)

6. गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ?

- (A) पद्मा
 (B) जमुना
 (C) मेघना
 (D) सांगपो

उत्तर (A)

7. विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप 'माजुली' का निर्माण करने वाली नदी है?

- (A) कृष्णा

(B) कावेरी

(C) गोदावरी

(D) ब्रह्मपुत्र

उत्तर (D)

8. वे दो प्रमुख नदियाँ कौन-सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परन्तु अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं?

- (A) चम्बल और बेतवा
 (B) चम्बल और सोन
 (C) नर्मदा और सोन
 (D) नर्मदा और बेतवा

उत्तर (C)

9. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है ?

- (A) राप्ती
 (B) महानदी
 (C) नर्मदा
 (D) स्वर्णरेखा

उत्तर (C)

10. दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लम्बी नदी है?

- (A) गोदावरी
 (B) कृष्णा
 (C) कावेरी
 (D) नर्मदा

उत्तर (A)


D. यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा ।

उत्तर (A)

- राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता हैं गुलाब चन्द कटारिया ।

अध्याय - 5

उच्च न्यायालय



- भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ ।
- वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुई ।
- भारतीय संविधान के भाग -6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है ।
- अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक

ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है
 1 (7 वें संविधान 1956 के तहत)

- अनुच्छेद 230 के तहत ससद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है ।
 पहले भारत में 21 उच्च न्यायालय थे । मार्च 2013 में मेघालय , मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।
- वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं । 25 वां उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश राज्य का जो । जनवरी , 2019 अमरावती में स्थापित हुआ है ।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय (वर्ष 1966 से) है ।
- **NOTE :** - जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू - कश्मीर राज्यों को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया । इससे पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में भी उच्च न्यायालय था लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू - कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में यथास्थित रहेगा ।
- निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय हैं
 - (i) पंजाब , हरियाणा , चंडीगढ़ : - चंडीगढ़ उच्च न्यायालय
 - (ii) महाराष्ट्र , गोवा , दमन व दीव , दादर एवं नागर हवेली- बॉम्बे उच्च न्यायालय
 - (iii) असम , अरुणाचल प्रदेश , नागालैण्ड , मिजोरम : - गुवाहटी उच्च न्यायालय
 - (iv) तमिलनाडु , पुडुचेरी : - मद्रास उच्च न्यायालय
 - (v) केरल , लक्षद्वीप - एर्नाकुलम उच्च न्यायालय
 - (vi) प . बंगाल , अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह- कलकत्ता उच्च न्यायालय

गठन

अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है । जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे । संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है । राष्ट्रपति समय - समय पर आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं ।

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा , जब वह
- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो । या किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है ।
- कॉलेजियम की अनुशंसा पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संदर्भ में पहल करते हैं ।
- इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (भारत का मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) के पास नाम भेजे जाते हैं । यह कॉलेजियम राष्ट्रपति को इस संदर्भ में अनुशंसा करते हैं ।

NOTE: - 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा SC एवं HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया गया लेकिन SC ने इस संशोधन एवं अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया । वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- अनुच्छेद 223 के तहत जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में

से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है ।

- अतिरिक्त का प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के लिए है । जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में नहीं की जाती ।
 - राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं , जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- (i) यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो । (ii) उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो ।

राष्ट्रपति उस परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के अलावा) अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तथा किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो ।

NOTE: - हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के पश्चात पद पर नहीं रह सकता

अनुच्छेद 224 A (15वें संविधान संशोधन 1963)
सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उस उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं ।
- वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है ।

शपथ ग्रहण

अनुच्छेद 219 के तहत सभी न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दिलायी जाती है । सभी न्यायाधीश पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण -करता है ।

NOTE- अनुच्छेद 220 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं जहाँ उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी ।

न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद भी नहीं दिया जाता है ।

न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव लड़ सकते हैं ।

उदाहरण के लिए- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विजय बहुगुणा किसी भी राज्य के पहले एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं ।

पदावधि

संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है । लेकिन इस संबंध में चार प्रावधान किए गए हैं ।

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु होती है । (15 वें संशोधन एक्ट 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई)

NOTE : - 114 वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान था लेकिन विधेयक पारित नहीं हुआ ।

- 2 .राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है ।
- 3 .संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है ।
- 4.उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है ।

6. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन नहीं होते हैं?

- लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधान परिषद् के सदस्य
- दिल्ली और पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- उत्तर पूर्व विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

उत्तर - b

7. केन्द्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है, के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है?

- उपराज्यपाल
- राज्यपाल
- निकटम राज्य सरकार
- राष्ट्रपति

उत्तर - d

8. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है?

- राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करना
- राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति

उत्तर - b

अध्याय - 7

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि **प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता है**। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है। परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती है।
- सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता है:
 - मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
 - कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
 - परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
 - अंतरिक्ष विभाग आदि।
- **प्रधानमंत्री की नियुक्ति**
 - संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।
 - लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे

एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है:

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हें को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करता है और उनमें बदलाव भी कर सकता है।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता है तो वह उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है।
- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता है।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।
- प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता है।

राष्ट्रपति के संबंध में

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता है। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावना से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता है।
- वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता है।

संसद के संबंध में-

- प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात् लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह देता है।
- वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता है।
- वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है।
- वह देश की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है।
- राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता है।
- वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना

- संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है। हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यहाँ यह तर्क भी दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो

संसद सभा का सदस्य न हों। ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। उदाहरणस्वरूप श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे।

सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली

- सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है। आमतौर पर यह मामला तब नजर आता है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री उस दल का निर्विवाद नेता हो। ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के फैसले को आमतौर पर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं:

लाभ	हानि
समय पर निर्णय।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव

- सामान्यतः, यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं। इसका कारण एक खंडित जनादेश की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन है। कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाय, अपन दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं। हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ बदलती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली पर भी महत्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है, जिसके द्वारा

गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाय, गठबंधन सरकार के प्रबंधक जैसी हो जाती है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

अनुच्छेद 74 और 75, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रावधानों से संबंधित हैं। ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल

- राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किन्तु, मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा।
- मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है एवं सामान्यतः राष्ट्रपति इसका समर्थन करता है। एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हों। संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक मंत्री बना रह सकता है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जब संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद प्राप्त करता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है।
- प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91 वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया है।

- संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दलबदल के आधार पर संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होगा। इस प्रावधान को भी, 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है।
- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
- मंत्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा जब तक संसद भत्ते का निर्धारण नहीं करती, तब तक वे भत्ते उसी प्रकार निर्धारित होंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। परंतु, वह उस सदन में मत नहीं दे सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है।

मंत्रिपरिषद् की संरचना

मंत्रिपरिषद् में सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं:

- **कैबिनेट मंत्री:-** कैबिनेट मंत्री वे हैं जिनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह, वित्त, विदेश आदि मंत्रालय होते हैं। वे पद, वेतन और शक्तियों में सर्वोच्च होते हैं। इन्हीं मंत्रियों से मंत्रिमंडल का गठन होता है। इन्हें धुरी (मंत्रिपरिषद्) के भीतर एक धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन शायद ही भी बीस से अधिक होती है। कैबिनेट मंत्री सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों के निर्माण और मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेने के हकदार हैं। कभी, कभी, वरिष्ठ नेताओं को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है।
- **राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार):-** यह एक राज्य मंत्री है जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता है। इन्हें मंत्रालय/विभागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हैं। जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय

मंत्रिमंडल की कार्यसूची में होता है। तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- **राज्य मंत्री:-** इस मंत्री के पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है, वही उसे कार्य आवंटित करता है।
- **उपमंत्री:-** ऐसा मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है वही उसे कार्य आवंटित करता है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य

- मंत्रिपरिषद् मुख्य रूप से राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देता है। मंत्रिपरिषद् वास्तव में केन्द्र सरकार से जुड़े मामलों के प्रशासनिक कर्तव्य से आबद्ध है। पब्लिक प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार का सर्वोच्च अंग है, अतः यह देश के प्रशासन से संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करता है। इस पर आंतरिक और विदेश नीतियों के निर्माण का उत्तरदायित्व होता है। देश की शांति और समृद्धि काफी हद तक मंत्रालय द्वारा निर्मित नीति पर निर्भर करती है। मंत्री न केवल अपने कार्यकारी विभागों के प्रमुख होते हैं, बल्कि ये विधायिका में बहुमत दल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं या उन्हें विधायिका में कम से कम बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है।
- मंत्रालय, राज्य की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रा, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, बीमा और अन्य योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा विनियमित तथा नियंत्रित किए जाते हैं। संक्षेप में, मंत्रिपरिषद् केंद्र सरकार के प्रशासनिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मंत्रिमंडल (Cabinet)

- **मंत्रिमंडल राजनीतिक एकरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है।** कुछ अपवादों को छोड़ दे तो सामान्यतः प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही पार्टी के होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री को एक समान विचार रखने तथा एक नीति

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

VDO Pre. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Whatsapp - <https://wa.link/gwli3t>

Online order - <https://bit.ly/rsmssb-cet-notes>